न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—173/10 (2010/00074) वाद पत्र

उनवान

1—नैनु आत्मज डुंगा गुजर निवासी गोविन्दपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—भैरा आत्मज डुंगा गुजर निवासी गोविन्दपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—गिरधारी आत्मज डुंगा गुजर निवासी गोविन्दपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—नाथुलाल आत्मज प्रताप गुजर निवासी गोविन्दपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—मूला आत्मज प्रताप गुजर निवासी गोविन्दपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6—प्यारा आत्मज प्रताप गुजर निवासी गोविन्दपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7—दीपाराम आत्मज प्रताप गुजर निवासी गोविन्दपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1—लच्छु पिता हमीरा गुजर निवासी गोविन्दपुरा तहसील रायपुर मृतक के बजाय
1/1—कंकु पत्नि लच्छु गुजर निवासी गोविन्दपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—केला आत्मज हमीरा गुजर निवासी गोविन्दपुरा तहसील रायपुर मृतक के बजाय
2/1—भैरू पुत्र केला गुजर निवासी गोविन्दपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2/2—नारायणी पुत्री केला गुजर निवासी गोविन्दपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2/3—रेखा पुत्री केला गुजर निवासी गोविन्दपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2/4—लेहरी पत्नि केला गुजर निवासी गोविन्दपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—अमरा आत्मज हमीरा गुजर निवासी गोविन्दपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—हीरा आत्मज भज्जा गुजर निवासी गलवा तहसील रायपुर मृतक के बजाय
4/1—भैरूलाल आत्मज हीरा गुजर निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4/2—प्यारा आत्मज हीरा निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4/3—उदा आत्मज हीरा गुजर निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4/4—रूपरी पत्नि हीरा गुजर निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4/5—सायरी पुत्री हीरा पत्नि मोहन गुजर निवासी खेमाकाखेड़ा तहसील रेलमंगरा
4/6—सोसी पुत्री हीरा पत्नि नारू गुजर निवासी काबरी तहसील रेलमंगरा
4/7—बदु पुत्री हीरा पत्नि बरदा गुजर निवासी गल्यावड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5— तहसीलदार रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

<u>वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 89, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

उपस्थित
1. जगदीशचन्द्र व्यास, जाकिर हुसैन— **अधिवक्ता वादीगण**
2. सीएम सिसोदिया, बापनाजी — **अधिवक्ता प्रतिवादीगण**

निर्णय

दिनांक 20.02.2020

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम गलवा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे आराजी संख्या 1007 रकबा 14 बिस्वा, आराजी संख्या 1008 रकबा 1 बिघा 12 बिस्वा, कुल किता 2 कुल रकबा 2 बिघा 06 बिस्वा डुंगा वल्द पीथा व प्रताप वल्द भज्जा गुजर के नाम दर्ज रेकार्ड थी। इस भूमि में 1/2 हिस्सा डुंगा का व 1/2 हिस्सा प्रताप वल्द भज्जा का था प्रमाण में जमाबन्दी संवत 2018 से 2021 की पेश की। वादी गण एव प्रतिवादीगण का सजरा निम्नानुसार बताया–

मूल पुरूष डुंगा के नेनु भेरा ओर गिरधारी हुए गिरधारी के वारिस दुदा, मांगु हुए इसी तरह प्रताप के वारिसान में नाथुलाल, मूला, प्यारा, व दीपाराम है जो वादीगण है प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 के पिता हमीर ने राजस्व अधिकारियो से मिलकर डुंगा जी के मृत्यु के पश्चात् जरिये इन्तकाल संख्या 171 दिनांक 21.01.64 को पुरा खाता विरासत से अपने नाम खुलवा लिया जो सरासर कानुन के विपरीत व गलत है क्योंकि डुंगा व प्रताप के वारीस जिन्दा है जबकि हमीर गलत तरीके से अपने नाम पर खुलवा लिया ओर हमीर की मृत्यु के पश्चात् प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 ने अपने नाम फैसल करवा लिया ओर राजस्व रेकार्ड में अपने नाम का लाभ उठाकर उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 4 को विक्रय कर दी। वर्तमान में राजस्व रेकार्ड में यह भूमि प्रतिवादी संख्या 4 के नाम पर दर्ज है जबकि उक्त भूमि पर न तो उसका कोई अधिकार न ही कोई कब्जा है। केवल राजस्व रेकार्ड मे नाम होने का गलत फायदा उठा कर जमीन को प्रतिवादी संख्या 4 को विक्रय कर दी गई है यह विक्रय हमारे खिलाफ होकर निष्प्रभावी है। बहक वादीगण, विरूद्व प्रतिवादीगण, इस आशय की घोषणात्मक डिक्री जारी फरमाई जावे कि ग्राम गलवा पटवार क्षेत्र गलवा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में स्थित आराजी संख्या 1007 रकबा 14 बिस्वा, आराजी संख्या 1008 रकबा 1 बिघा 12 बिस्वा, कुल किता 2 कुल रकबा 2 बिघा 06 बिस्वा मे से 1/2 हिस्सा का वादीगण संख्या 1 लगायत 3 को एवं 1/2 हिस्सा का वादीगण संख्या 4 लगायत 7 को खातेदार काश्तकार घोषित कराया जावे।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 15.07.2010 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली है। प्रतिवागणो ने अपने जवाब में अंकन किया कि वाद पत्र में वर्णित तथ्यो की जानकारी प्रतिवादीगणो को नही होने से अस्वीकार है सवंत 2018 में एकीकरण हुआ व एकीकरण के समय यह आराजियात किस नाम पर थी तथा एकीकरण के बाद यह भूमिया हमीर पिता नन्दा गुजर के नाम पर रेवेन्यु रेकार्ड में दर्ज हुई नकल जमाबन्दी संवत 2022 से 2025 की नकल वास्ते सिबुत पेश की तथा हमीर की मृत्यु के पश्चात् यह भूमिया प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 के नाम रेवेन्यु रेकार्ड में दर्ज हुई तथा प्रतिवादीगणों के द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 को बैच दी गई व वर्तमान में इन भूमियो पर प्रतिवादी संख्या 4 का कब्जा होकर रेवेन्यु रेकार्ड में दर्ज है ओर प्रतिवादीगणो के पिता द्वारा सही इन्तकाल खुलवाया था वादीगणों ने यह अकित किया कि प्रताप के पिता का क्या नाम था डुंगा के 3 पुत्र नेनु, भेरा, गिरधारी वादीगण है तक नाथु, मूला, प्यारा, दीपा कोन है स्पष्ट नही किया गया डुंगा कब फोत हुआ व दिनांक 21.01.64 से लगायत वाद पेश करने तक वादीगण चुप क्यों रहे स्पष्ट नही है वादीगणो का जैर बहस भूमियो पर न तो कोई हक था न कब्जा है पूर्व में मृतक हमीरा का कब्जा था उनकी मृत्यु के पश्चात् प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 का रहा ओर उसके बाद भूमि प्रतिवादी संख्या 4 को व विक्रय कर देने पर प्रतिवादी संख्या 4 का कब्जा चल रहा है ओर वादीगणो का वादवर्णित

भूमि से कोई सम्बन्ध नही है। तथा कथित जैर बहस भूमियो का इन्तकाल सन् 1964 में दर्ज होना वादीगणो द्वारा समय पर कोई चाराजोही नही की तथा सन् 1974 में सह भूमिया प्रतिवादी संख्या 4 को विक्रय कर दी गयी फिर भी वादीगणो द्वारा कोई कार्यवाही नही की वाद बैरून मियाद होने से चलने योग्य नही है। अतः वाद सव्यय खारीज फरमाया जावे।

प्रकरण में दोनो अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई –

वादी अधिवक्ता द्वारा वाद में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए लिखित बहस की गई जो शामिल पत्रावली है लिखित बहस अनुसार प्रकरण में वादीगण का वाद स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

विपक्षी अधिवक्ता द्वारा प्रतिवाद में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अन्त में निवेदन कि डुंगा प्रताप की भूमि हमीरा के नाम पर दर्ज हुई ओर हमीरा से भूमि उसके वारीसान के नाम पर दर्ज हुई जिससे हमीरा के वारीसान ने हीरा को बेच दी रजिस्ट्री निरस्त नही करायी है कब्जा हमारा है वाद खारीज फरमावे।

वाद ओर प्रतिवाद के आधार पर प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गई।

1. आया वाद कि डुंगा व प्रताप के वादीगण जायज वारीस है– वादीगण
2. आया वादग्रस्त आराजियात विरासत से प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के पिता हमीर अपने नाम दर्ज कराने का अधिकारी है – प्रतिवादीगण 1 से 3
3. आया वादग्रस्त आराजियात पर प्रतिवादीगण का कब्जा है– प्रतिवादी संख्या 4
4. दादरसी क्या होगी –

वादीगण एवं प्रतिवादीगणो द्वारा तनकीवार प्रस्तुत साक्ष्य सबुत पेश की जिसके आधार पर तनकीवार निर्णय इस प्रकार है–

1. आया वाद कि डुंगा व प्रताप वादीगण जायज है– वादीगण

इस तनकी को साबित कराने कराने का भार वादीगण का था इसके समर्थन में वादी प्यारा पिता प्रताप गुजर ने अपने बयान की जिरह में कहा कि हमारे मूल पुरूष नन्दा जी थे ओर यह सही है कि नन्दा जी के 4 लड़के थे भज्जा मियाराम हमीर ओर माना है भज्जा के 3 लड़के प्रताप भवाना तथा उदा है मियाराम के 1 लड़की नानुड़ी है तथा हमीर के लच्छु, केला व अमरा है माना जी लाऔलाद फोत हो गये व प्रताप के दीपा, प्यारा, मुला व नाथु है यह जमीन पैतृक हैं हमीर जी गोद चले गये ओर संवत 2023 के आगे हमीर जी उक्त विवादित भूमि अपने नाम पर करवा ली जब वो वार्डपंच थे ओर हमीर के मरने के बाद लच्छु, केला व अमरा के नाम आ गयी उस समय में नाबालिक था हमीर के लड़को ने कब रजिस्ट्री करवायी मुझे याद नही लच्छु को हमने कहा कि जमीन हमारे नाम करवा दो तो उन्होने इन्कार कर दिया। यह जमीन नानुड़ी के बाप दादा की तो है परन्तु वह अपने ससुराल कमा खा रही है हमने उसको पुछा तो कहा कि तुम भाई बन्द खाओ में ससुराल में खाती कमाती हुँ यह जमीन बैच दी मुझे पता नही हमनें बिकाव को निरस्त कराने का कोई दावा नही किया जमीन पर हमारा कब्जा चला आ रहा है हमें जिन्स गिरदावरी की नकले पेश नही की लच्छु केला अमरा ने हमारे खिलाफ बाप दादाओ की जमीन में हिस्सा लेने का दावा कर रखा है उसके साथ ही हमने यह दावा किया है। इसी के साथ मगना पिता रामलाल जाट के बयान कराये जिसमें मगना ने अपने बयान में कहा कि हमीर को इस जमीन पर खेती करते नही देखा जमीन इनके बाप दादाओ के समय से चली आ रही है मुझे पता नही जमीन हीरा पिता भज्जा ने खरीदी है ओर कहा कि यह जमीन मेरे 7 वर्ष गिरवे रही में हीरा जी को नही जानता ओर जमीन के पड़ोस में नही जानता। इस मौखिक साक्ष्य के साथ साथ दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में जमाबन्दी 2018 से 2021 पदर्श–1 जो मूल खातेदार डुंगा व प्रताप के नाम

पर थी की प्रति पेश की। इन्तकाल संख्या 171 जो हमीरा के नाम दर्ज हुई प्रदर्श–2 है। खसरा भुप्रबन्ध प्रदर्श–3, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–4, जमाबन्दी 2022 से 2025 प्रदर्श–5, जमाबन्दी 2033 जो प्रदर्श–6 पेश की है इसके विरूद्व प्रतिवादीगणो की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया जो उक्त भूमि इनके मूल पुरूष नन्दा के नाम की हो। इसी के साथ नायब तहसीलदार रायपुर के बयान कराये गये जिसमें कहा गया कि विवादित भूमि 2018 से 2021 में डुंगा व प्रताप के नाम दर्ज रेकार्ड थी नामान्तरणकरण 171 से डुंगा फोत होने से डुंगा के वारीसान हमीर पिता नन्दा का नाम दर्ज हुआ जबकि पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार डुंगा फोत हुआ था अतः डुंगा के हिस्से की भूमि का ही नामान्तणकरण होना था जबकि पंचायत द्वारा प्रताप के हिस्से की भूमि भी हमीर पिता नन्दा के नाम रदोबदल करते हुए नामान्तरणकरण 171 स्वीकृत किया गया वर्तमान नवीन खसरा नम्बर 1466 व 1467 किता 2 रकबा 0.50 है0 भूमि बतौर खातेदार हिरा पिता भज्जा गुजर है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर तनकी नम्बर 1 को साबित करने वादीगण सफल रहे जिसके आधार पर तनकी नम्बर 1 का निर्णय बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण किया जाता है।

2. आया वादग्रस्त आराजियात विरासत से प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के पिता हमीर अपने नाम दर्ज कराने का अधिकारी है – प्रतिवादीगण 1 से 3

इस तनकी को साबित कराने का भार प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 का था इसके समर्थन में स्वय प्रतिवादी लच्छु पिता हमीर गुजर ने बयान दिये गये जिसमे कहा कि विवादित भूमि 2.5 बीघा के करीब है जमीन मेरे पिता के नाम थी फिर मेरे नाम आयी ओर वर्तमान में यह जमीन हीरालाल के नाम है यह जमीन मेने 30 साल पहले बैच दी। बैचान के बाद हीरालाल का कब्जा है ओर लगान भी हीरालाल जमा करा रहा है। यह बात सही है कि डुंगा व प्रताप के लड़के वादीगण है। मुझे पता नही कि यह जमीन डुंगा व प्रताप के नाम दर्ज हो यह जमीन मेरे पिता ने खरीदी हो मेरी जानकारी मे नही। यह बात सही है कि मेरे पिताजी डुंगा व प्रताप के लड़के नही है। यह कहना गलत है कि विवादित जमीन डुंगा व प्रताप से मेरे पिता के नाम गलत दर्ज हुई बल्कि सही रूप से दर्ज हुई डुंगा व प्रताप के मरने के बाद वादवर्णित जमीन पर वादीगण का कब्जा चला आ रहा हो मे नही जानता हुँ ओर अन्त मे यह कहा कि यह कहना गलत है इस जमीन पर वादीगण काश्त कर रहे हो। मौखिक साक्ष्य के अलावा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में पैतृक भूमि होने बाबत् कोई साक्ष्य पेश नही किया। उपरोक्त विवरण के आधार पर इस तनकी का निर्णय विरूद्व प्रतिवादीगण 1 से 3 बहक वादीगण किया जाता है।

3. आया वादग्रस्त आराजियात पर प्रतिवादीगण का कब्जा है– प्रतिवादी संख्या 4

इस तनकी को साबित कराने का भार प्रतिवादीगण 4 का था इसके समर्थन में प्रतिवादी के द्वारा अपने नाम दर्ज भूमि की जमाबन्दी पेश की गई एवं नामान्तणकरण 352 की प्रति पेश की गई जिसके आधार पर वर्तमान में भूमि वाद पत्र के अनुसार प्रतिवादी संख्या 4 के नाम दर्ज है किन्तु कब्जे सम्बन्धी साक्ष्य प्रस्तुत नही होने से इस तनकी का निर्णय आशिंक रूप से रेकार्ड अनुसार बहक प्रतिवादी संख्या 4 किया जाता है।

4. दादरसी क्या होगी –

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादी एवं प्रतिवादी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी तथा बहस पर मनन किया तो पाया कि वाद पत्र में वर्णित आराजियात मूल रूप से जमाबन्दी संवत 2018 से 2021 में डुंगा पिता पिथा 1/2 प्रताप पिता भज्जा 1/2 के नाम दर्ज रेकार्ड थी जिस पर नामान्तरणकरण 171 निर्णय दिनांक 21.05.64 का नोट अंकित

है इस नामान्तरणकरण से भूमि डुंगा व प्रताप के बजाय हमीर पिता नन्दा के नाम दर्ज की गई है ओर यह नामान्तरणकरण ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत किया है जबकि नामान्तरणकरण मृतक डुगा की विरासत का भरा गया है हमीरा के पिता का नाम प्रस्तुत जबाव में वर्णित सजरा के अनुसार नन्दा है विवादित भूमि में मृतक डुंगा की विरासत डुंगा के वारीसान के नाम दर्ज होनी चाहिये थी जो नही होकर हमीरा के नाम दर्ज की गई जो किस आधार पर दर्ज की गई है इसका कोई विवरण नामान्तरणकरण पर दर्ज नही है इससे यह स्पष्ठ प्रमाणित है नामान्तरणकरण 171 गलत रूप से स्वीकृत होने से भूमि हमीरा के नाम दर्ज हुई है ओर हमीरा के फोत होने से विपक्षी के नाम विरासत से दर्ज होकर विपक्षीगण द्वारा भूमि विक्रय की गई है जो प्रभावहीन है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण अपने वाद पत्र को सिद्ध कराने मे सफल रहने से वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ।

आदेश

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम गलवा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे वादवर्णित साबिक आराजी संख्या 1007 रकबा 14 बिस्वा, आराजी संख्या 1008 रकबा 1 बिघा 12 बिस्वा, कुल किता 2 कुल रकबा 2 बिघा 06 बिस्वा के नवीन आराजी नम्बर 1466 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 1467 रकबा 0.35 है कुल किता 2 कुल रकबा 50 है0 भूमि के खातेदार हीरा पिता भज्जा गुजर के बजाय वादीगण संख्या 1 से 3 को 1/2 हिस्से का एवं वादीगण संख्या 4 से 7 को 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 20.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

20.2.2020

सुन्दरलाल बम्बोडा
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भीलवाड़ा)

मूल वाद मे डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–173/10 (2010/00074) वाद पत्र

उनवान

1–नैनु आत्मज डुंगा गुजर निवासी गोविन्दपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–भैरा आत्मज डुंगा गुजर निवासी गोविन्दपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3–गिरधारी आत्मज डुंगा गुजर निवासी गोविन्दपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4–नाथुलाल आत्मज प्रताप गुजर निवासी गोविन्दपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5–मूला आत्मज प्रताप गुजर निवासी गोविन्दपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6–प्यारा आत्मज प्रताप गुजर निवासी गोविन्दपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7–दीपाराम आत्मज प्रताप गुजर निवासी गोविन्दपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1–लच्छु आत्मज हमीरा गुजर निवासी गोविन्दपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–केला आत्मज हमीरा गुजर निवासी गोविन्दपुरा तहसील रायपुर मृतक के बजाय
2/1–भैरू पुत्र केला गुजर निवासी गोविन्दपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2/2–नारायणी पुत्री केला गुजर निवासी गोविन्दपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2/3–रेखा पुत्री केला गुजर निवासी गोविन्दपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2/4–लेहरी पत्नि केला गुजर निवासी गोविन्दपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3–अमरा आत्मज हमीरा गुजर निवासी गोविन्दपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4–हीरा आत्मज भज्जा गुजर निवासी गलवा तहसील रायपुर मृतक के बजाय
4/1–भैरूलाल आत्मज हीरा गुजर निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4/2–प्यारा आत्मज हीरा निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4/3–उदा आत्मज हीरा गुजर निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4/4–रूपरी पत्नि हीरा गुजर निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4/5–सायरी पुत्री हीरा पत्नि मोहन गुजर निवासी खेमाकाखेड़ा तहसील रेलमंगरा
4/6–सोसी पुत्री हीरा पत्नि नारू गुजर निवासी काबरी तहसील रेलमंगरा
4/7–बदु पुत्री हीरा पत्नि बरदा गुजर निवासी गल्यावड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5– तहसीलदार रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 89, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादीगण के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम गलवा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे वादवर्णित आराजी संख्या 1007 रकबा 14 बिस्वा, आराजी संख्या 1008 रकबा 1 बिघा 12 बिस्वा, कुल किता 2 कुल रकबा 2 बिघा 06 बिस्वा के नवीन आराजी नम्बर 1466 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 1467 रकबा 0.35 है कुल किता 2 कुल रकबा 50 है0 भूमि के खातेदार हीरा पिता भज्जा गुजर के बजाय वादीगण संख्या 1 से 3 को 1/2 हिस्से का एवं वादीगण संख्या 4 से 7 को 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावें।

वाद में डिक्री आज दिनांक 20.02.2020 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

20.2.2020

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.02.25 16:12:10 IST
Reason: SelfAttested
Location: